২৫/৬/৯৫

পত্র. [illegible] - [illegible]. [illegible] - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পত্র. [illegible]
পত্র. [illegible]

[illegible] জিলা [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 56 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 00083
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 24.06.24

1. शिवकुमार पुत्र श्यामसिंह जाति जाट निवासी भौसींगा तह. नदबई

प्रार्थी

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी भौसींगा तहसील नदबई।
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी भौसींगा तहसील नदबई।
3. धर्मवीर पुत्र नबाव जाति जाट निवासी भौसींगा तहसील नदबई।
4. श्रीना पत्नी गुरूचरन जाति जाट निवासी भौसींगा तहसील नदबई।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
6. सब रजिस्ट्रार नदबई।

अप्रार्थी

उपस्थित श्री रामकिशन गुर्जर. एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री महावीर प्रसाद एड. (अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय **प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवान का दावा न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जिसमें सफलता की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1223 रकबा 0.18, 1288 रकबा 0.05, 1292 रकबा 0.42, 1302 रकबा 0.46, 1309 रकबा 0.10, 1314

24/06/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

खसरानम्बर1223 रकबा0.18,1288 रकबा 0.05, 1292 रकबा 0.42

रकबा 0.14, 1599 रकबा 0.43, 1782 रकबा 0.10, 1783 रकबा 0.18, 1853 रकबा 0.39, 21 रकबा 0.61, 510 रकबा 0.28, 513 रकबा 0.76, 514 रकबा 0.1 हैक्ट वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है।

3. यह कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त रूप से पैतृक आराजी है जिस पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की पुश्तैनी आराजी है। जो प्रार्थी के बाबा श्रीचंद से प्रार्थी के पिता को विरासत में प्राप्त हुई है और प्रार्थी का एक संयुक्त परिवार है। उक्त पुश्तैनी आराजी में प्रार्थी का जन्म से ही विरासतन अधिकार प्राप्त है।

4. यह कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है जो कि प्रार्थी के बाबा श्री उर्फ श्रीचंद के मरने के उपरान्त विरासतन प्राप्त होती चली आई है। जमाबंदी संवत 2060–61 के खाता संख्या 250 में विरासतन का नामान्तरकरण का इन्द्राज है जो अप्रार्थीसंख्या 1 कर्ताखानदान होने के कारण उक्त संपत्ति के वाहिद इन्द्राजात चले आ रहे हैं जिन्हें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगा0 4 से साज कर उक्त संपत्ति से प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। तथा प्रार्थी की पैतृक व पुश्तैनी आराजी से महरूम करना चाहते हैं जिसे अप्रार्थी कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि उक्त विवादित आराजी संयुक्त पैतृक खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी मुताबिक हिस्से पर मनवट आए हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन उक्त संपत्ति पर अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है क्योंकि अप्रार्थी

सहायक 25/06/24
नदबई जिला भरतपुर

संख्या 1 लगा0 4 आपस में साज कर प्रार्थी के हिस्से हडपना चाहते हैं तथा दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल करने पर आमादा है जिसके कारण डौर मेढ आदि पर आपस में तनाजा बना रहता है जिसे प्रार्थी अलग–अलग कुरेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करा पाने के अधिकारी हैं।

6. यह है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.05.2024 को प्रार्थीगण को धमकी दी गई कि पुश्तैनी व पैतृक आराजी को मिलकर बेचान करके रहेंगे तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल करेंगे। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना की कि विवादित आराजीयात को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे, रहनवयमुन्तकिल न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी स. 1 लगा0 4 की ओर से श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है।

1. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भौसींगा होना स्वीकार है तथा प्रार्थीगण द्वारा सजरा वादी व प्रतिवादी का पेश किया गया वो भी स्वीकार है। तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करना नहीं चाहते हैं न ही बेचान करना चाहते हैं मौके पर किसी प्रकार का कब्जे काश्त संबंधी विवाद नहीं हैं। विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का कुरेजात विभाजन किया जाता है

सहायक कलेक्टर

तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है, न ही अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई। प्रार्थी द्वारा वादपत्र मनगढन्त व झूंठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आरटीए के तहत खातेदारी व विभाजन का पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विवादित आराजी खसरा न. 1223 रकबा 0.18, 1288 रकबा 0.05, 1292 रकबा 0.42, 1302 रकबा 0.46, 1309 रकबा 0. 10, 1314 रकबा 0.14, 1599 रकबा 0.43, 1782 रकबा 0.10, 1783 रकबा 0.18, 1853 रकबा 0.39, 21 रकबा 0.61, 510 रकबा 0.28, 513 रकबा 0. 76, 514 रकबा 0.1 हैक्ट वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी की खातेदारी का अंकन हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2060–61 के खाता संख्या 250 में विरासतन का नामान्तरकरण का इन्द्राज हो रहा है। जिससे साबित है कि उक्त विवादित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम संपत्ति के इन्द्राज चले आ रहे हैं। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के बाबा श्री उर्फ श्रीचंद से प्रार्थी के पिता श्यामसिंह के नाम विरासतन प्राप्त हुई है जो कि उक्त विवादित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थीगण का जन्म से ही

24/06/24
सहायक कलेक्टर

खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उक्त विवादित आराजीयात का अभी कानूनी रूप से अभी विभाजन नही हुआ है। तथा मौके पर मनवट अनुसार हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आराजी का जब तक कानूनी रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हिस्सा व हक निहित होता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि उक्त विवाादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है जिसका अभी कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है जब तक विवादित आराजी की वाद विषयवस्तु को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित में बखूबी साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – पृथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण एवं विवादित आराजी पैतृक संपत्ति होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का एवं रहनवयमुन्तकिल होने का अंदेशा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी 1223 रकबा 0.18, 1288 रकबा 0.05, 1292 रकबा 0.42, 1302 रकबा 0.46, 1309 रकबा 0.10, 1314 रकबा 0.14, 1599 रकबा 0.43,

24/06/24

सहायक कलक्टर
जिला

1782 रकबा 0.10, 1783 रकबा 0.18, 1853 रकबा 0.39, 21 रकबा 0.61, 510 रकबा 0.28, 513 रकबा 0.76, 514 रकबा 0.1 हैक्ट वाके ग्राम भौसींगा तहसील नदबई पर स्थित है, पर प्रार्थी शिवकुमार पुत्र श्यामसिंह के हिस्से तक की आराजी पर रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा रहनवयमुन्तकिल न करें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर) राज0

24/06/24

(गगांधर मीना)

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर, नदबई

सत्यमेव जयते